(1)

विषयः- पंजी क्रमांक/2130/सी./2023-24 विरुद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

शिकायतकर्ता श्री पारस सकलेचा द्वारा यह शिकायत श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल तथा श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपाल अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. शासन, भोपाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य ग्रामीण विकास आजीविका मिशन के अधिकारियों के विरुद्ध प्रेषित की गई है, जिसमें अनावेदगण द्वारा म.प्र. ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के आधार पर पोषण आहर, टेक होम राशन (टी.एच.आर.) की योजना के क्रियान्वयन में वर्ष 2018 से 2021 के बीच करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार कर घोटाला करने के आक्षेप किये गये हैं।

2/ म.प्र. ऑडीटर जनरल की रिपोर्ट के अनुसार उक्त योजना में उक्त अवधि में 481.79 करोड़ रूपये का घोटाला कर भ्रष्टाचार किया जाना आक्षेपित किया जाना आक्षेपित किया गया है।

3/ शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 25146/2022 में पारित आदेश दिनांक 17.04.2023 की छायाप्रति प्रेषित की गई है, जिसमें कंडिका क्रमांक-3 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लोकायुक्त संगठन में प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक 10/2020, 441/2019, 202/2020, 382/2020 तथा 432/2022 का उल्लेख किया गया है।

4/ ऐसी स्थिति में लोकायुक्त संगठन में प्रस्तुत उक्त प्रकरणों प्रकरण क्रमांक 10/2020, 441/2019, 202/2020, 382/2020 तथा 432/2022 की नस्ती आहूत की जाकर तदोपरांत समेकित रूप से शिकायत पर अग्रिम प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

28.08.23

(भूपेन्द्र कुमार निगम)
विधि सलाहकार-5

माननीय लोकायुक्त महोदय

As above. Proposal be given within ...

28.8.23

120
28.8.23

295
29/8/23

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषयः- पंजी कमांक/2130/सी./2023-24 विरूद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

मानवीय कृपया एन.एस.पी.1 पर टीप निर्देश दिनांक 28.08.2023 का अवलोकन करना चाहेंगे।

2/ निर्देशानुसार अभिलेखागार से प्रकरण कमांक 10/2020, 441/2019, 202/2020 एवं 382/2020 आहूत किये गये। प्रकरण कमांक 432/2022 आरक्षी केन्द्र लटेरी, जिला विदिशा से संबंधित होना प्रकट होता है, जो कि लोकायुक्त संगठन से संबंधित नहीं है।

3/ प्रकरण क. 10/2020 में शिकायतकर्ता श्री भूपेन्द्र कुमार प्रजापति द्वारा श्री एम.एल. बेलवाल, तत्का. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आजीविका मिशन जिला रायसेन के विरूद्ध प्रेरित की गई, जिसमें अवर सचिव, म.प्र. शसन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के प्रतिवेदन दिनांक 30.12.2020 के परीक्षण अनुसार गुणदोष पर निराकरण करते हुए माननीय उप लोकायुक्त महोदय के आदेश दिनांक 09.02.2021 द्वारा आक्षेपों के समर्थन में साक्ष्य प्रकट नहीं होने से कार्यवाही समाप्त की गई है।

4/ प्रकरण कमांक 441/2019 में शिकायतकर्ता श्री भूपेन्द्र कुमार प्रजापति द्वारा श्री एम.बी. खरे, तत्का. परियोजना प्रबंधक, श्री सचिन साहू, श्री नरेश शर्मा, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत रायसेन के विरूद्ध प्रेषित की गई है, जिसमें अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र दिनांक 30.01.2021 के अनुसार जांच उपरांत श्री सुबेन्द्र यादव, लेखापाल, श्री नरेश कुमार शर्मा एवं श्री रविशंकर सरेजा से यात्रा भत्ता की अमान्य योग्य पाई गई कुल राशि 14,456 रू. की वसूली की कार्यवाही पूर्ण हो जाने से संगठन स्तर पर कार्यवाही माननीय उप लोकायुक्त महोदय के आदेश दिनांक 08.02.2021 द्वारा समाप्त की गई।

5/ प्रकरण क. 202/2020 में विभागीय स्तर पर की गई जांच के निष्कर्षो के आधार पर अनावेदक श्री दिनेश दुबे, सहायक राज्य परियोजना

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषयः- पंजी कमांक/2130/सी./2023-24 विरूद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

प्रबंधक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं श्री ललित मोहन बेलाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला रायसेन के विरूद्ध अगरबत्ती निर्माण करने, सेनेटरी नैपकिन निर्माण एवं साबुन निमाण करने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था तथा समूह के माध्यम से भ्रष्टाचार करने के आक्षेप प्रमाणित नहीं पाये जाने से गुणदोष पर विचारोपरांत माननीय के आदेश दिनांक 06.12.2022 द्वारा प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की गई।

6/ प्रकरण क. 382/2020 में शिकायतकर्ता भूपेन्द्र कुमार प्रजापति द्वारा यह शिकायत श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिला भोपाल के विरूद्ध विभिन्न जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों का गिरोह बनाकर अगरबत्ती मशीन खरीदी में स्व-सहायता समूह की महिलाओं को गुमराह कर भ्रष्टाचार करने संबंधी आक्षेपों के संबंध में अवर सचिव, म. प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायसेन के जांच प्रतिवेदन दिनांक 25.11.2022 के अनुसार गुणदोष के आधार पर अगरबत्ती मशीन खरीदी में स्व-सहायता समूह की महिलाओं को गुमराह कर भ्रष्टाचार करने के आक्षेप प्रमाणित नहीं पाये जाने से संगठन स्तर पर कार्यवाही समाप्त की गई।

7/ इस प्रकार उक्त चारों प्रकरणों में शिकायत के आक्षेप प्रमाणित नहीं पाये जाने से विचारोपरांत संगठन स्तर पर कार्यवाही समाप्त की गई तथा आरक्षी केन्द्र लटेरी, जिला विदिशा के प्रकरण क. 432/2022 में पत्र दिनांक 08.03.2022 के अनुसार शिकायत में संज्ञेय अपराध के तथ्य प्रकट नहीं होने से प्रतिवेदित किया जाना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.04.2023 में उल्लेखित किया गया है।

8/ इस शिकायत में शिकायतकर्ता श्री पारस सकलेचा द्वारा यह शिकायत श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल तथा श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म. प्र. भोपाल तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य ग्रामीण विकास आजीविका मिशन के अधिकारियों के विरूद्ध प्रेषित की गई है, जिसमें अनावेदगण द्वारा म.प्र. ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के आधार पर पोषण आहर, टेक होम राशन (टी.एच.आर.) की योजना के कियान्वयन में वर्ष 2018 से 2021 के

सूचना के अधिकार के
अंतर्गत प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषयः- पंजी कमांक/2130/सी./2023-24 विरूद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

बीच करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार कर घोटाला करने के आक्षेप करते हुए प्रेषित की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण क. 10/2020, 441/2019, 202/2020 तथा 382/20 का संगठन स्तर पर निराकरण के आधार पर इस शिकायत में कोई विबंधन की बाधा प्रथम दृष्टया रूप से दर्शित नहीं होती है। आरक्षी केन्द्र लटेरी जिला विदिशा के प्रकरण क. 432/2022 के आधार पर भी इस शिकायत में विबंधन (Estoppel) की बाधा परिलक्षित नहीं होती है।

9/ चूंकि यह शिकायत मुख्यतः म.प्र. ऑडीटर जनरल की रिपोर्ट वर्ष 2022 के आधार पर प्रेषित की गई है। ऐसी स्थिति में इस शिकायत में अग्रिम कार्यवाही किये जाने के पूर्व ऑडीटर जनरल म.प्र. से रिपोर्ट वर्ष 2022 के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Riport)/पालन प्रतिवेदन (Complience Riport) तथा उक्त Action taken Riport से ऑडीटर जनरल के संतुष्ट होने अथवा नहीं होने के संबंध में स्पष्ट जानकारी आहूत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10/ अतः ऑडीटर जनरल, म.प्र. ग्वालियर से ऑडीटर जनरल की रिपोर्ट वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहर, टेक होम राशन (टी.एच.आर.) की योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Riport)/पालन प्रतिवेदन (Complience Riport) की जानकारी तथा उक्त Action taken Riport रिपोर्ट से ऑडीटर जनरल म.प्र. के संतुष्ट होने अथवा नहीं होने के संबंध में स्पष्ट जानकारी दिनांक 25.09.2023 तक उपलब्ध कराने हेतु लिखा जाना, तत्पश्चात् नस्ती माननीय के समक्ष दिनांक 27.09.2023 तक प्रस्तुत किये जाने हेतु तिथि नियत किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

8/9/23

(भूपेन्द्र कुमार निगम)
विधि सलाहकार-5

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

माननीय लोकायुक्त महोदय

As at above.

12.9.23

222/13.9.23

प्र.क्र. 10/20, 441/19, 202/20 तथा ... की कार्यवाही रिपोर्ट में रखे जाने हेतु संबंधित ... को वापिस की जाये

13.9.23

विषयः- पंजी कमांक/2130/सी./2023-24 विरुद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

आदेशानुसार पत्र की स्वच्छ प्रतियां अनु. एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

Rani
13/9/23

LA-5

149

आवक क्रमांक 4304
दिनांक 14.9.23

NSP-1-4 का कृपया अवलोकन हो। यथानिर्देश ऑडिटर जनरल म०प्र० ग्वालियर से दिनांक 25-9-23 तक जानकारी चाही गई थी, जो अप्राप्त है।

कृपया आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Rani
27/9/23

LA-5

सूचना के अधिकार के
अंतर्गत प्रदत्त प्रति
लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषयः- पंजी कमांक/2130/सी./2023-24 विरुद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

माननीय कृपया एन.एस.पी.4 पर टीप निर्देश दिनांक 08.09.2023 का अवलोकन करना चाहेंगे।

2/ माननीय के निर्देशानुसार ज्ञापन दिनांक 14.09.2023 द्वारा ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर से वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहार, टेक होम राशन की योजना के क्रियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी एवं उक्त Action taken Riport से ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर से आज दिनांक तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

3/ अतः ऑडीटर जनरल, म.प्र. ग्वालियर से ऑडीटर जनरल की रिपोर्ट वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहर, टेक होम राशन (टी.एच.आर.) की योजना के क्रियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Riport)/पालन प्रतिवेदन (Cpmplience Riport) की जानकारी तथा उक्त Action taken Riport रिपोर्ट से ऑडीटर जनरल म.प्र. के संतुष्ट होने अथवा नहीं होने के संबंध में स्पष्ट जानकारी दिनांक 13.10.2023 तक उपलब्ध कराने हेतु लिखा जाना, तत्पश्चात् नस्ती माननीय के समक्ष दिनांक 16.10.2023 तक प्रस्तुत किये जाने हेतु तिथि नियत किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

(भूपेन्द्र कुमार निगम)
विधि सलाहकार-5

माननीय लोकायुक्त महोदय

As at 'A' above.
27.9.23

(316)

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति
लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी लोक आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश, भोपाल

R.No. 2130/C/2023 - वि.श्री इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एवं श्री ललित मोहन बेलवाल CEO राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल

आवक क्रमांक 4887 दिनांक 5/10/23

आदेशानुसार पत्र की स्वार्थ प्रतियां अनु. एवं हस्ता. प्रस्तुत हैं।

Rajni 5/X/23

5.10

NSP-6 का कृपया अवलोकन हो।

यथानिर्देश ऑडिटर जनरल म.प्र. ग्वालियर से दिनांक 13-10-23 तक जानकारी चाही गई थी, जो अप्राप्त है।

कृपया आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Rajni 13/10/23

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति
लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

8

विषयः- पंजी कमांक/2130/सी./2023-24 विरुद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

माननीय कृपया एन.एस.पी.6 पर टीप निर्देश दिनांक 27.09.2023 का अवलोकन करना चाहेंगे।

2/ संगठन के ज्ञापन दिनांक 14.09.2023 द्वारा ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर से वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहार, टेक होम राशन की योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी एवं उक्त Action taken Riport से ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर के संतुष्ट होने अथवा नहीं होने के संबंध में जानकारी चाही गई थी, जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है।

3/ पूर्व में भी ऑडीटर जनरल, म.प्र. ग्वालियर से इस संबंध में जानकारी चाही गई थी, किन्तु ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

4/ शिकायत में किये गये आक्षेपों के संबंध में ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर के द्वारा वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहर, टेक होम राशन की योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही की जानकारी आहूत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5/ अतः अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल को ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहार, टेक होम राशन की योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी दिनांक 21.11.2023 तक उपलब्ध कराने हेतु लिखा जाना, तत्पश्चात् नस्ती माननीय के समक्ष दिनांक 24.11.2023 तक प्रस्तुत किये जाने हेतु तिथि नियत किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

(भूपेन्द्र कुमार निगम)
विधि सलाहकार-5
16.10.23

माननीय लोकायुक्त महोदय As at 'A' above.
16.10.23

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

9

विषयः- पंजी कमांक/2130/सी./2023-24 विरुद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

17.10.23

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा- प्रथम) म.प्र. ग्वालियर का ज्ञापन क. 60 दिनाक 11.10.2023 (पताका-1) का कृपया अवलोकन करना चाहेंगे।

2/ संगठन के ज्ञापन दिनांक 04.10.2023 के परिपालन में प्रधान महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर द्वारा उक्त ज्ञापन के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि वर्तमान में टेक-होम राशन संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रारूप स्तर पर ही है एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखे जाने तक इस प्रतिवेदन से संबंधित जानकारी गोपनीय है। अतः उक्त के संबंध में जानकारी विधानसभा पटल पर रखे जाने के उपरांत ही प्रदान की जा सकती है।

3/ पूर्व में इस प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,भोपाल से आवश्यक जानकारी का प्रतिवेदन आहूत किया गया है तथा इस संबंध में दिनांक 24.11.2023 नियत की गई है। अतः इस संबंध में विभाग से आवश्यक जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् आगामी तिथि दिनांक 23.11.2023 को प्रधान महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर के उक्त ज्ञापन दिनांक 11.10.2023 के संबंध में आगामी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

4/ नस्ती पूर्ववत् विभाग द्वारा जानकारी दिनांक 21.11.2023 तक उपलब्ध कराने हेतु लिखा जाना, तत्पश्चात् नस्ती माननीय के समक्ष दिनांक 24.11.2023 तक प्रस्तुत किये जाने हेतु तिथि नियत किया जाना प्रस्तावित है। A

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

17.10.23

(भूपेन्द्र कुमार निगम)
विधि सलाहकार-5

माननीय लोकायुक्त महोदय

As at A above.

17.10.23

365
17.10.23

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

R. No. 2130/c/23 – वि. श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल एवं श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल.

5752 दि. 30/10/23

आदेशानुसार पत्र की स्वच्छ प्रतियां अनु० एवं हस्ता० प्रस्तुत है।

Ruini
27/10

LAS

30.10.23

R-No. 3227/23-11-23

कवर सचिव म० प्र० शासन पंचा० एवं ग्रा० वि० वि० भोपाल का पत्र दि. 20-11-23 छायां कवर एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है

LAS

Ruini
28.11.23

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति
लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषय:– पंजी.क. 2130 / सी / 2023–24 विरुद्ध श्री इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एवं श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

माननीय कृपया एन.एस.पी. 08–09 का अवलोक करना चाहेंगे।

2/ यथानिर्देश अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल को ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहार, टेकहोम राशन की योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी दिनांक 21.11.2023 तक चाही गई थी।

3/ उक्त परिप्रेक्ष्य में अवर सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल का पत्र दिनांक 20.11.2023 प्राप्तहुआ है, जिसमें उल्लेखित है कि पालन प्रतिवेदन विस्तृत एवं व्यापक स्वरूप का होने के कारण उक्त प्रकरण में 02 माह का समय बढाये जाने का अनुरोध किया गया है।

4/ अतएव यदि मान्य हो तो अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एव ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल से ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहार, टेकहोम राशन की योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी दिनांक 19.01.2024 तक प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। 'A'

5/ नस्ती माननीय के समक्ष दिनांक 25.01.2024 को प्रस्तुत की जावेगी।

6/ कृपया अनुमोदनार्थ / आदेशार्थ।

24.11.23

(भूपेन्द्र कुमार निगम)
विधि सलाहकार–5

माननीय लोकायुक्त महोदय As at 'A' above.
28.11.23

पत्र की स्वच्छ प्रतियां अनु० एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

6765 28.11.23
7/12/23

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

R. No. 2130/C/23 – वि श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म० प्र० शासन, भोपाल एवं श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल

NSP - 11 का कृपया अवलोकन हो।

संगठन के पत्र क्र - 6765 दिनांक 7-12-23 के सन्दर्भ में अपर मुख्य सचिव, म०प्र० शासन, पंचायत एवं ग्रा० वि० वि० भोपाल से शिकायत के सम्बन्ध में वांछित प्रतिवेदन/जानकारी दिनांक 19.1.24 तक चाही गई थी जो अप्राप्त है।

कृपया आदेशार्थ प्रस्तुत है।

Saini
24.1.24

LA5

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी लोक आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश, भोपाल

विषयः- पंजी कमांक/2130/सी./2023-24 विरुद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

माननीय कृपया एन.एस.पी.11 का अवलोकन करना चाहेंगे।

2/ अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल को ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की रिपोर्ट वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहार, टेक होम राशन की योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी दिनांक 19.01.2024 तक उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था।

3/ अपर मुख्य सचि, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल से वांछित जानकारी अप्राप्त है।

4/ अतः अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल को ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की रिपोर्ट वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहार, टेक होम राशन की योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी दिनांक 26.02.2024 तक उपलब्ध कराने हेतु लिखा जाना, तत्पश्चात् नस्ती माननीय के समक्ष दिनांक 05.03.2024 तक प्रस्तुत किये जाने हेतु तिथि नियत किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

25.1.24

(भूपेन्द्र कुमार निगम)
विधि सलाहकार-5

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

माननीय लोकायुक्त/महोदय

25.1.24

539 29.1.24

पत्र की स्वच्छ प्रतियां अनु० एवं हस्ता. प्रस्तुत है।

30.1.24

30/1

9073 30/1/24

विषयः- पंजी कमांक/2130/सी./2023-24 विरुद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

माननीय कृपया एन.एस.पी.13 का अवलोकन करना चाहेंगे।

2/ प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल को ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की रिपोर्ट वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहार, टेक होम राशन की योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी दिनांक 26.02.2024 तक उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, किन्तु वांछित जानकारी अप्राप्त है।

3/ अतः अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल को ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की रिपोर्ट वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहार, टेक होम राशन की योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी दिनांक 27.03.2024 तक उपलब्ध कराने हेतु लिखा जाना, तत्पश्चात् नस्ती माननीय के समक्ष दिनांक 05.04.2024 तक प्रस्तुत किये जाने हेतु तिथि नियत किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

4.3.24

(भूपेन्द्र कुमार निगम)
विधि सलाहकार-5

माननीय लोकायुक्त महोदय

As at A1 above.
4.3.24

6/3
4.3.24

आदेशानुसार पत्र की स्वच्छ प्रति कृपया हस्ता. प्रस्तुत है।

Rajni
11.3

LA

11.3

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

जावक क्रमांक 1017S
दिनांक 12/3/24

(15)

विषयः— पंजी.क. 2130/सी/2023—24 विरूद्ध श्री इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एवं श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

माननीय कृपया एन.एस.पी. 11—14 का अवलोकन करना चाहेंगे।

2/ यथानिर्देश अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल को ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहार, टेकहोम राशन की योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी दिनांक 19.01.2024, 26.02.2024, 27.03.2024 तक चाही गई थी, जो अप्राप्त है।

3/ अतएव यदि मान्य हो तो अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल से ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की वर्ष 2022 के संबंध मे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहार, टेकहोम राशन की योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी सहित उपस्थित होने हेतु **दिनांक 10.07.2024 को 11.30 बजे** की तिथि नियत किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

(ओंकार नाथ)
विधि सलाहकार—1

माननीय लोकायुक्त महोदय

आदेशानुसार पत्र की स्वच्छ प्रतियां अनु. एवं हस्ता. प्रस्तुत है।

16-4-24

LA/1

जावक क्रमांक 322
दिनांक 16.4.2024

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति
लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषयः— पंजी.क. 2130 / सी / 2023—24 विरूद्ध श्री इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एवं श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

सूचना के अधिकार के
अंतर्गत प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषयः—

16

विषयः- पंजी क्रमांक/2130/सी./2023-24 विरूद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

माननीय कृपया एन.एस.पी.15 का अवलोकन करना चाहेंगे।

2/ प्रकरण में दिनांक 10.07.2024 को अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल की उपस्थिति नियत थी, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए।

3/ अतः (1) अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल एवं (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल की ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की रिपोर्ट वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहार, टेक होम राशन की योजना के क्रियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी सहित उपस्थिति हेतु दिनांक 16.08.2024 को 11.30 बजे की तिथि नियत किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

(ऑंकार नाथ) 16/7/24
विधि सलाहकार-1

माननीय लोकायुक्त महोदय

आदेशानुसार 02 पत्रों की स्वच्छ प्रतियां अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

Reciv
16/7

जावक क्रमांक 2147
दिनांक 18/7/24

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति
लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषय:- पंजी कमांक/2130/सी./2023-24 विरूद्ध इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, एवं श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

माननीय कृपया एन.एस.पी. 16 का अवलोकन करना चाहेंगे।

2/ प्रकरण में दिनांक 16.08.2024 को अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल की उपस्थिति नियत थी, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुये। श्री संजय श्रीवास्तव, आफिस असिस्टेंट , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल उपस्थित हुये।

3/ श्री श्रीवास्तव द्वारा पत्र दिनांक 14.08.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित पोषण आहार टेक होम राशन (टीएचआर) योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रकियाधीन है। उनके द्वारा समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

4/ अतः अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल एवं (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल की ऑडीटर जनरल म.प्र.. ग्वालियर की रिपोर्ट वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहार, टेक होम राशन की योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी सहित उपस्थिति हेतु दिनांक 16.10.2024 को 11.30 बजे की तिथि नियत किया जाना प्रस्तावित है।

(ओंकार नाथ) 16/8/24

विधि सलाहाकार-1

माननीय लोकायुक्त महोदय

16/8

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति
लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

(18)

विषय :- R. No. 2130/C/2023-24 - वि. श्री इकबाल बैंस, मुख्य सचिव, म० प्र० शासन, भोपाल एवं श्री ललित मोहन बेलवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य ग्रा० आजीविका मिशन म० प्र० भोपाल.

आदेशानुसार 02 पत्रों की स्वच्छ प्रतियां अनु० एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

Rajni
27/8

3205
28/8/24

LA-1

28/8/24

सूचना के अधिकार के
अंतर्गत प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषयः- पंजी क्रमांक/2130/सी./2023-24 विरूद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

माननीय कृपया एन.एस.पी.17 का अवलोकन करना चाहेंगे।

2/ प्रकरण में दिनांक 16.10.2024 को अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल की उपस्थिति नियत थी, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल के स्थान पर श्री दीपक राय, उपायुक्त उपस्थित हुए।

3/ उनके द्वारा अवर सचिव का पत्र दिनांक 15.10.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि तत्संबंध में कार्यवाही प्रकियाधीन है। उनके द्वारा दो माह की अवधि विस्तारित करने का अनुरोध किया गया।

4/ श्री राय द्वारा अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ऑर्डरशीट दिनांक 13.06.2024 जो प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित की गई है, की छायाप्रतित प्रस्तुत की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य आजीविका फोरम द्वारा आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल को प्रेषित पत्र दिनांक 29.09.2023 की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई है।

5/ उनके द्वारा समक्ष में व्यक्त किया गया कि उक्त पत्राचार किये जाने के उपरांत भी महिला एवं बाल विकास विभाग से ऑडिट की कंडिकाओं की जानकारी अप्राप्त है।

6/ अतः (1) **अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास** विभाग भोपाल एवं (2) **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल की** ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की रिपोर्ट वर्ष 2022 के संबंध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पोषण आहार, टेक होम राशन की योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी एवं (3) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल की, मुख्य

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

20

विषयः- पंजी कमांक/2130/सी./2023-24 विरूद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. के पत्र दिनांक 29.09.2023, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ऑर्डरशीट दिनांक 13.06.2024 के संबंध में तथा आडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की रिपोर्ट वर्ष 2022 के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी सहित उपस्थिति हेतु दिनांक 19.11.2024 को 11.30 बजे की तिथि नियत किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

16.10.24

(संतोष प्रसाद शुक्ल)
उप विधि सलाहकार

माननीय लोकायुक्त महोदय

21.10.24

21
21-10-24

आदेशानुसार 03 पत्रों की स्वच्छ प्रतियां अनु० एवं हस्ता० प्रस्तुत है।

Rajni
22-10

DY/LA

23/10/24

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषयः- पंजी कमांक/2130/सी./2023-24 विरुद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

21

मानानीय कृपया एन.एस.पी.19-20 का अवलोकन करना चाहेंगे।

2/ प्रकरण में दिनांक 19.11.2024 को अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल की उपस्थिति नियत थी, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल के स्थान पर श्री दीपक राय, उपायुक्त एवं प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के स्थान पर श्रीमती माधवी नागेन्द्र उप सचिव तथा श्री अक्षय श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक उपस्थित हुए।

3/ श्री राय द्वारा उप सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र दिनांक 13.11.2024 जो उप सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को संबोधित है, की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है।

4/ श्रीमती नागेन्द्र द्वारा पत्र दिनांक 19.11.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि विभाग अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय किये जाने वाले टेक होम राशन के संबंध में महालेखाकार म.. द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑडिट ड्राफ्ट रिपोर्ट महालेखाकार के पत्र दिनांक 12.08.2022 द्वारा विभाग को प्राप्त हुई, जिसमें टेक होम राशन प्रदायकर्ता म.प्र. राज्य आजीविका फोरम तथा एम.पी. एग्रो से, उनसे संबंधित कंडिकाओं की जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त जानकारी के आधार पर विभाग के पत्र दिनांक 05.12.2022 एवं 22.12.2022 द्वारा ड्राफ्ट ऑडिट कंडिकाओं के प्रतिवेदन, प्रधान महालेखाकार, म.प्र. को प्रेषित किये गये। विभाग द्वारा प्रेषित ड्राफ्ट ऑडिट कंडिकाओं के प्रतिवेदन के संबंध में महालेखाकार कार्यालय द्वारा ड्राफ्ट कंडिकाओं के विलोपन के संबंध में आज दिनांक तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। महालेखाकार कार्यालय से कंडिकाओं के विलोपन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तद्नुसार अवगत कराया जावेगा। द्वारा

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

22

विषयः- पंजी कमांक/2130/सी./2023-24 विरूद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित की गई जानकारी संलग्न प्रस्तुत की गई।

5/ अतः (1) **अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल एवं (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल** की ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की रिपोर्ट वर्ष 2022 के संबंध में स्वयं द्वारा पोषण आहार, टेक होम राशन की योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी एवं (3) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल की, आडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की रिपोर्ट वर्ष 2022 के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी सहित उपस्थिति हेतु दिनांक 13.02.2025 को 11.30 बजे की तिथि नियत किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

19.11.24

(संतोष प्रसाद शुक्ल)
उप विधि सलाहकार

मानवीय लोकायुक्त महोदय

Office

20/11/24

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति
लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषयः– पंजी.क. 2130 / सी / 2023–24 विरूद्ध श्री इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एवं श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

आदेशानुसार 03 पत्रों की स्वच्छ प्रतियां अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

उप विधि सलाहकार

6.12.24

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति

लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

24

विषयः- पंजी कमांक/2130/सी./2023-24 विरूद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

माननीय कृपया एन.एस.पी.21-22 का अवलोकन करना चाहेंगे।

2/ प्रकरण में दिनांक 13.02.2025 को अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल के स्थान पर श्री दीपक राय, उपायुक्त उपस्थित हुए। प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग उपस्थित नहीं हुए।

3/ श्री राय द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया।

4/ अतः (1) अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल एवं (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल की ऑडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की रिपोर्ट वर्ष 2022 के संबंध में स्वयं द्वारा पोषण आहार, टेक होम राशन की योजना के कियान्वयन के संबंध में की गई टीप के संबंध में कार्यवाही प्रतिवेदन तथा पालन प्रतिवेदन की जानकारी एवं (3) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल की, आडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की रिपोर्ट वर्ष 2022 के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी सहित उपस्थिति हेतु दिनांक 21.03.2025 को 11.30 बजे की तिथि नियत किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

13.2.25

(आर.पी. मिश्रा)
विधि सलाहकार-4
वास्ते उप विधि सलाहकार

133
13.2.25

माननीय लोकायुक्त महोदय

17/2

Office
18.2.25

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति
लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

(25)

R. No. 2130/C/2023 - श्री इकबाल सिंह बैंस मुख्य सचिव, म० प्र० शासन, भोपाल एवं श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म० प्र० भोपाल.

7706.7 18/2/25

आदेशानुसार 03 पत्रों की स्वच्छ प्रतियां अनुमोदनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

Rajni 18/2

DY/LA

18.2.25

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति
लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल

प्र.क्र. 0589/E/2024-25
01.3.25

26

विषयः- पंजी कमांक/2130/सी./2023-24 विरुद्ध श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन भोपाल एंव श्री ललित मोहन बेलवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन म.प्र. भोपाल।

मानवीय कृपया एन.एस.पी.24 का अवलोकन करना चाहेंगे।

2/ यह शिकायत शिकायतकर्ता श्री पारस सकलेचा द्वारा आडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2018 से 2021 तक पोषण आहार/टेक होम राशन (टीएचआर) के वितरण, परिवहन एवं उनकी गुणवत्ता के संबंध में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता की गई है, जिसकी पुष्टि आडीटर जनरल म.प्र. की रिपोर्ट जो कि दिसम्बर 2021 से फरवरी 2022 तक तैयार की गई है, से होती है।

3/ उपरोक्त शिकायत के आधार पर (1) अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल, (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, म.प्र. भोपाल तथा (3) प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल को पत्र दिनांक 18.02.2025 प्रेषित कर आडीटर जनरल म.प्र. ग्वालियर की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की जानकारी सहित दिनांक 21.03.2025 को उपस्थिति हेतु निर्देशित किया गया है, किन्तु अब तक शिकायत पर से जांच प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। अतः यदि मान्य हो तो शिकायत पर जांच प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ।

3.3.25
(संतोष प्रसाद शुक्ला)
उप विधि सलाहकार

मानवीय लोकायुक्त महोदय

3/3/25

Office
4.3.25

सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त प्रति
लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अनुभाग अधिकारी
लोक आयुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश, भोपाल